<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

**फा. सं. 6/13/2023- डीजीटीआर**
**भारत सरकार, वाणिज्य विभाग**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**
**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली**

**दिनांक 20.09.2023**

**<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>**
**<u>मामला सं. एडी (ओ.आई.) - 13/2023</u>**

**<u>विषय: चीन जन. गण. से "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।</u>**

**क. पृष्ठभूमि**

1. 'टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर्स" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है), और कई अन्य निर्माता के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए "हाईहोप फर्नीचर फिटिंग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट्स प्रा. लि." (जिसे यहां आगे "हाईहोप" भी कहा गया है), से 'निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण भारत में उद्योग को क्षति हो रही है ।

2. प्राधिकारी एतद्द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) ए डी नियमावली के नियम 5 के उप नियम 4 के अनुसार टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान लेते हैं ।

3. प्राधिकारी को पिछले चार वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़े भी प्राप्त हुए हैं जो चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि दर्शाते हैं । चीन जन. गण. से आयात संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का 85.24 प्रतिशत है ।

**ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर्स" है, जिसे ड्रावर रनर्स/चैनल/ साफ्ट क्लोज टेलीस्कोपिक चैनल के रूप में भी जाना जाता है । इसे आम तौर पर ड्रावर में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वस्तुओं को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है । यह एक छोटा सा यंत्र होता है, जो ड्रावर को बंद करते और खोलते समय उसकी गति को सरल बनाने में मदद करता है। टेलीस्कोपिक चैनल या रनर आधुनिक फर्नीचर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक है जो ड्रावर की कार्यक्षमता और सुन्दरता को बढ़ा देता है ।

5. इसमें दो या उससे अधिक इंटरलॉकिक मैटल सेक्शन होते हैं जो ड्रावर के खुलने और बंद होने पर फैलते और सिकुड़ते हैं । टेलीस्कोपिक चैनल या रनल को आम तौर पर फर्नीचर, कैबिनेट और ऐसे उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जिनकी भंडारण स्थान पर सरल पहुंच होती है ।

6. यद्यपि इस उत्पाद को अनेक प्रकार के विभिन्न आकारों और प्रकारों में उत्पादित किया और बेचा जाता है । तथापि, ये अनिवार्य रूप से भार के अनुसार तुलनीय है । उत्पाद के आकार में परिवर्तन उत्पादन की इकाई लागत और बिक्री कीमत (भार के आधार पर) में वास्तव में कोई बदलाव नहीं करता है ।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 83 के तहत उपशीर्षक 83024110, 83024190, 83024200 और 83024900 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच पर बाध्यकारी नहीं है ।

8. हितबद्ध पक्षकारों को इस अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी टिप्पणियां करने का निर्देश दिया गया है ।

**ग. <u>समान वस्तु</u>**

9. हाईहोप के दावे को नोट करते हुए प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को *प्रथम दृष्टया* वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" माना जा रहा है ।

## घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग बिखरा हुआ है और पूरी तरह एम एस एम ई श्रेणी से संबंधित है । रिकॉर्ड में सूचना यह दर्शाती है कि भारत में 30 ज्ञात उत्पादकों में से हाईहोप लगभग 25 घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है । अत: प्राधिकारी इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हैं कि यह अभ्यावेदन नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है ।

11. इसके अलावा, एमएसएमई और उद्योग की खंडित प्रकृति, इसमें शामिल उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकरण, व्यापार नोटिस 09/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 के संदर्भ में, व्यापार नोटिस में निर्दिष्ट अनुबंध I के अनुसार घरेलू उत्पादकों से जानकारी मांगता है, जिसके आधार पर प्राधिकरण चोट मार्जिन के निर्धारण के लिए घरेलू उत्पादकों का नमूना लेगा। इसलिए, जबकि घरेलू उद्योग के सभी उत्पादकों से संबंधित जानकारी को क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया जाएगा, गैर-हानिकारक कीमत और क्षति मार्जिन एक नमूने के डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

## ङ. <u>कथित पाटन का आधार</u>

12. प्राधिकारी की प्रक्रिया पर विचार करते हुए और चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार यह माना गया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 क(i) के प्रावधानों के अनुसार समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पाद और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, चीन की कीमतों या लागतों को जांच के अधीन उद्योग के लिए प्रयोग किया जा सकता है । यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने

में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

13. चूंकि (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत, (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य, (ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत संबंधी सूचना इस स्तर पर प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान कच्ची सामग्री की लागत, सुविधाओं की लागत और घरेलू उत्पादकों द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है ।

14. निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार किया है । निर्यात कीमत सीआईएफ मूल्य पर आधारित हैं जबकि सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर हैं, निर्यात कीमत को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन आदि के लिए समायोजित किया गया है ।

15. तद्नुसार, ऊपर यथापरिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर इस बात के पर्याप्त *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जो दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है । पाटन मार्जिनों का अनुमान निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

## च. <u>कथित क्षति का आधार</u>

16. प्राधिकारी के पास उपलबध सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग को समग्र रूप से और सापेक्ष रूप से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति हो रही है । आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि भारतीय उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है । आयातों से

घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है जिससे घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है । इसके अलावा, सूचना यह भी दर्शाती है कि मांग में वृद्धि के बावजूद भारतीय उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप अत्यंत कम उपयोग स्तर रहे हैं । यद्यपि, आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव संबंधी पूरी सूचना इस स्तर पर प्राधिकारी के पास उपलबध नहीं है, तथापि, प्राप्त सूचना के आधार पर फिर भी यह देखा गया है कि उद्योग को लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव से भी नुकसान उठाना पड़ा है ।

## छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5(4) के अनुसार हाईहोप द्वारा प्रदत्त सूचना और और डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों का संज्ञान लेते हैं जिनमें निम्नानुसार बताया गया है /

> *"उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वत: कोई जांच शुरू कर सकते हैं, यदि वह" सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त [सीमाशुल्क आयुक्त] से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात से संतुष्ट हैं कि उप नियम (3) के खंड (ख) में उल्लिखित स्थितियों की मौजूदगी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं ।*

18. एडी नियमावली नियम 5(4) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चीन जन.गण. से "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रावर स्लाइडर" के आयातों के संबंध में स्वत: एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

## ज. <u>जांच की अवधि</u>

19. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है तथा क्षति अवधि में 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 और जांच की अवधि शामिल होगी ।

झ. <u>संबद्ध देश</u>

20. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है ।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

21. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

23. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 22 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

## ठ. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in. पर ईमेल के माध्यम से नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली, के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

## ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

31. "गोपनीय" और "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं ।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ढ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

36. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रोनिक रूप में रखने की रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

**ण. <u>असहयोग</u>**

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**(अनन्त स्वरूप)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**